

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2563]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936

No. 2563]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 3199(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 2752(अ), दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 को प्रकाशित की गई थी, की अनुसूची-1 में:-

(क) क्रम सं. 22 के समक्ष, कॉलम (6) में,-

(i) मद (ख) में, "उपर्युक्त मद (क)" के स्थान पर "उपर्युक्त मद (क) और निम्न मद (ग)" पढ़ा जाए;

(ii) मद (ग) में "मद (ग) के स्थान पर "मद (क) और (ग)" पढ़ा जाए;

(ख) क्रम सं. 144 के समक्ष, कॉलम (5) में,-

(i) मद (छ) में, "मद (ख)" के स्थान पर "मद (ग)" पढ़ा जाए;

(ii) मद (ज) में "मद (ग)" के स्थान पर "मद (ड.)" पढ़ा जाए;

(ग) क्रम सं. 232 के समक्ष, कॉलम (4) में "गुमला और सिमडेगा" के स्थान पर "गुमला, सिमडेगा और खुंटी" पढ़ा जाए;

(घ) क्रम सं. 235 के समक्ष, कॉलम (4) में "चतरा और बोकारो" के स्थान पर "चतरा, बोकारो और रामगढ़" पढ़ा जाए;

(ड.) क्रम सं. 237 के समक्ष, कॉलम (4) में,-

(i) मद (ख) में "411012, 411027, 411031" को हटा दिया जाए;

- (ii) मद (ख) में “411057” के स्थान पर “411057 (पिम्परी चिंचवाड़ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़ कर)” पढ़ा जाए;
- (च) क्रम सं. 240 के समक्ष, कॉलम (4) में,-
- (i) मद (क) में “411057” के स्थान पर “411057, 411061, 411062, 412101, 412105, 412109” पढ़ा जाए;
- (ii) मद (ख) में, “देहू कैंटोनमेंट” को “देहू रोड कैंटोनमेंट और हवेली तालुका” पढ़ा जाए;
- (छ) क्रम सं. 241 के समक्ष, कॉलम (4) में, मद (ख) में “412210” के स्थान पर “412110” पढ़ा जाए;
- (ज) क्रम सं. 244 के समक्ष,-
- (i) कॉलम (4) में, मद (ग) में “शाहपुर तालुका, भिवंडी तालुका, मुरबद तालुका” को हटा दिया जाए;
- (ii) कॉलम (6) में, मद (ज) में “जिनकी आय का मुख्य स्रोत वेतन है और” को हटा दिया गया जाए;
- (झ) क्रम सं. 245 के समक्ष,-
- (क) कॉलम (5) में, मद (ख) के बाद “(खख) कंपनियों और सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति जोकि कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और कॉलम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करते हैं”, अंतःस्थापित किया जाए;
- (ख) कॉलम (6) में,-
- (i) मद (ग) में, “मद (ग)” के स्थान पर “मद (खख) और (ग)” पढ़ा जाए;
- (ii) मद (च) में, “मद (च)” के स्थान पर “मद (च), (छ)” पढ़ा जाए;
- (ञ) क्रम सं. 246 के समक्ष, कॉलम (6) में, मद (ड.) में, “मद (ज)” के स्थान पर “ मद (छ),(ज)” पढ़ा जाए।

[अधिसूचना संख्या 81/2014/फा.सं. 187/38/2014-आयकर नि-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक